



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3232/SEIAA/2022

Date: 2/3/22

प्रति,

श्री भोलेराम अहिरवार आत्मज श्री हरिराम अहिरवार,  
निवासी- ग्राम रैपुरा,  
तहसील व जिला सागर (म.प्र.) - 470051

**विषय:-**प्रकरण क्र. 8926/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री भोलेराम अहिरवार आत्मज श्री हरिराम अहिरवार, निवासी- ग्राम रैपुरा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान एरिया 3.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 366, ग्राम जसराज, तहसील - सागर, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स ज्वाला मॉ एसोसिएट, पार्टनर श्री होशियार सिंह आत्मज श्री घिसाराम एवं 02 अन्य, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 705 वी बैठक दिनांक 15.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर एसईआईए में ऑनलाईन एवं हार्डकापी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर एसईआईए में ऑनलाईन एवं हार्डकापी सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 3233 /SEIAA/2022  
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 2/3/22

निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल-462016 की ओर सूचनार्थ।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी